न्यायालय उप जिलाधिकारी करछना प्रयागराज

वाद संख्या [illegible] /अन्तर्गत धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता

मौजा घटवा, परगना अरैल तहसील करछना जिला प्रयागराज

विकास एवं समाज उत्थान समिति बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद विकास एवं समाज उत्थान समिति सोनाई, परगना अरैल तहसील करछना जिला प्रयागराज जरिये प्रबन्धक ज्ञान सिंह पुत्र छोटेलाल सिंह निवासी सोनाई परगना अरैल तहसील करछना जिला प्रयागराज द्वारा इस कथन के साथ योजित किया गया है कि वादी मौजा घटवा परगना अरैल तहसील करछना जिला प्रयागराज स्थित आराजी संख्या 773 रकवा 1.301हे0 का जुज रकवा 0.1626हे0 व आराजी संख्या 769मि0 रकवा 0.941हे0 मे से रकवा 0.2052हे0 पर सह संक्रमणीय भूमिधर काबिज दखील है जिसका अकृषिक उपयोग किया जा रहा है। अतः आराजी निजाई को अकृषिक घोषित किया जाये। वादी द्वारा उद्धरण खतौनी सन 1423–1428 फ0 की प्रति व खसरा सन् 1359 फ0 की प्रति व स्थल का फोटोग्राफ की प्रति व अकृषिक भूमि उद्घोषणा शुल्क के रूप मे सरकारी खजाने मे जमा की गयी धनराशि मु0 6570/रू0 के चालान संख्या 41 दिनांक 28.04.2020 की प्रति व न्याय शुल्क के रूप मे मु0 6570/रू0 का स्टाम्प दाखिल किया गया है।

हल्का लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार करछना की जांच रिपोर्ट सहित पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त होने पर वाद पंजीकृत होकर पत्रावली प्रस्तुत हुई। हल्का लेखपाल द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 24.04.2020 मे उल्लिखित किया गया है कि आवेदक द्वारा ग्राम घटवा मे आराजी संख्या 773 रकवा 1.301हे0 का जुज रकवा 0.1626हे0 व आराजी संख्या 769मि0 रकवा 0.941हे0 मे से रकवा 0.2052हे0 है। तथा आराजी पूर्णतया अकृषिक है। जिसमे कृषि कार्य, मत्स्य पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन आदि का कार्य नही किया जाता है। आख्या सेवा मे प्रेषित है। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 28.04.2020 को अंतर्गत आराजी संख्या 773 रकवा 1.301हे0 का जुज रकवा 0.1626हे0 व आराजी संख्या 769मि0 रकवा 0.941हे0 मे से रकवा 0.2052हे0 भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या प्रेषित किया है, जिसे तहसीलदार करछना द्वारा हल्का लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक की उक्त जांच आख्या को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या अग्रसारित किया गया है।

मैने पत्रावली पर समस्त अभिलेखो का भली भांति परिशीलन किया। उद्धरण खतौनी सन् 1423–1428 फ0 के खाता संख्या 271 के गाटा संख्या 773 रकबा 1.301हे. के जुज रकबा 0.1626 हे0 व खाता संख्या 181 के गाटा संख्या 769मि0 रकबा 0.941हे. का जुज रकबा 0.2052 हे0 पर विकास एवं समाज उत्थान समिति सोनाई, परगना अरैल तहसील करछना जिला प्रयागराज जरिये प्रबन्धक ज्ञान सिंह पुत्र छोटेलाल सिंह निवासी सोनाई परगना अरैल तहसील करछना जिला प्रयागराज का नाम बतौर सह संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। हल्का लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार करछना द्वारा

अपनी जांच रिपोर्ट मे उक्त वादग्रस्त भूखण्ड के जुज रकबा 0.3678 हे0 भूमि को अकृषिक होना बताया गया है। स्थल के फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि आराजी निजाई का उक्त जुज रकबा अकृषिक है। आवेदक द्वारा नियमानुसार अकृषिक भूमि उद्घोषणा शुल्क एवं न्याय शुल्क अदा किया गया है। ऐसी स्थिति मे मौजा घटवा उक्त वादग्रस्त आराजी संख्या 773 रकबा 1.301हे0 का जुज रकबा 0.1626हे0 व आराजी संख्या 769मि0 रकबा 0.941हे0 मे से रकबा 0.2052हे0 को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः हल्का लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार करछना की जांच रिपोर्ट के आधार पर मौजा घटवा परगना अरैल तहसील करछना जिला प्रयागराज की खतौनी सन् 1423–1428 फ0 के खाता संख्या 271 के गाटा संख्या 773 रकबा 1.301हे. के जुज रकबा 0.1626 हे0 व खाता संख्या 181 के गाटा संख्या 769मि0 रकबा 0.941हे0 का जुज रकबा 0.2052 हे0 भूमि को वादी के पक्ष में अकृषिक एवं लगान मुक्त घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेगी। तद्नुसार परवाना जारी हो। आदेश की प्रति उपनिबंधक करछना को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

(आकांक्षा राना)I.A.S.
उपजिलाधिकारी करछना
प्रयागराज।

न्यायालय उपजिलाधिकारी करछना, इलाहाबाद

वाद संख्या 416 वर्ष 2010–11 अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधि०

मौजा घटवा परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद

विप्रज्ञान सेवा समिति बनाम सरकार

निर्णय 27-1-11

प्रस्तुत वाद विकास सिंह सचिव/प्रबंधक विप्रज्ञान सेवा समिति 459सी, पुरादलेल अल्लापुर इलाहाबाद ने सरकार को प्रतिवादी बनाते हुये ज०वि०अधि० की धारा 143 के अन्तर्गत इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के नाम मौजा घटवा परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद में गाटा संख्या 773 का 1/4 भाग रकबा 0.3253हे० एवं 1/8 भाग 0.1626हे० कुल रकबा 0.4879हे० है । जिसे प्रार्थी शैक्षणिक उपयोग हेतु उपयोग में लाना चाहता है । अन्त में याचना किया है कि उक्त भूमि को धारा 143 ज०वि०अधि० के तहत अकृषिक घोषित करने की कृपा करें । साथ में मौजा घटवा परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की कम्प्यूटर उद्धरण खतौनी वर्ष 1411 लगायत 1416फ० की प्रति तथा बैनामा की छाया प्रति दाखिल किया है, जो संलग्न पत्रावली है ।

नियमानुसार प्रकरण की स्थलीय जाँच तहसीलदार करछना से करायी गयी । क्षेत्रीय लेखपाल ने अपनी स्थलीय जाँच आख्या दिनांक 06.10.10 में उल्लिखित किया है कि संलग्न प्रार्थनापत्र श्री विकास सिंह सचिव/प्रबंधक विप्रज्ञान सेवा समिति 459सी, पुरादलेल अल्लापुर इलाहाबाद की स्थलीय जाँच की गयी जाँच आख्या निम्नवत है– प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि स्थित ग्राम घटवा परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद आ०नं० 773मि० रकबा 0.4879हे० को शैक्षणिक उपयोग हेतु लाना चाहते हैं । जाँच में पाया गया कि उपरोक्त भूमि मौके पर खाली है तथा उस पर कृषि कार्य कई वर्षों से नहीं हो रहा है जो मौके पर खाली अकृषिक रूप में पड़ी है । उपरोक्त भूमि पर कुक्कुट, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन आदि कार्य नहीं हो रहा है । प्रार्थी उपरोक्त भूमि को शैक्षणिक उपयोग में लाना चाहते हैं । अतः उपरोक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट सेवा में सूचनार्थ उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है । राजस्व निरीक्षक मध्य ने अपनी आख्या दिनांक 27.10.10 द्वारा लेखपाल की आख्या को सत्यापित किया है । तहसीलदार करछना ने अपनी आख्या दिनांक 27.01.11 में उल्लिखित किया है कि रा०नि०/लेo की आख्या [illegible] अकृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति सहित प्रेषित । साथ में नियत प्रारूप पर भी आख्या दी गयी है, जो संलग्न पत्रावली है ।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम घटवा परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की कम्प्यूटर खतौनी वर्ष 1411 लगायत 1416फ० के खाता संख्या 271 गा०सं० 773 रकबा 1.301हे० का 1/8 भाग में रकबा 0.1626 पर विप्रज्ञान सेवा समिति 459 पुरा दलेल अल्लापुर इलाहाबाद द्वारा प्रबंधक विकास सिंह पुत्र [illegible] सिंह नि० 459 पुरा दलेल अल्लापुर इलाहाबाद का नाम जरिये प०बै०दि० 21.6.08 के आधार पर सह सं०भू० दर्ज है । क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक मध्य तथा तहसीलदार करछना ने अपनी उक्त आख्या में स्पष्ट किया है कि उक्त भूखण्ड पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि भूमि मौके पर अकृषिक है तथा शैक्षणिक उपयोग में लायी जायेगी । उक्त भूखण्ड पर कुक्कुट, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन आदि कार्य नहीं हो रहा है और

क्रमशः——2

अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है । ऐसी स्थिति में उक्त आराजी को लगान मुक्त करते हुए अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

आदेश

अतः क्षेत्रीय लेखपाल / राजस्व निरीक्षक मय तथा तहसीलदार करछना की आख्या के आधार पर ग्राम घटवा परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की खतौनी वर्ष 1411 लगायत 1416फ0 के खाता संख्या 271 गाटा संख्या 773 रकबा 1.3010हे0 में से 0.4879हे0 भूमि को लगान मुक्त करते हुए अकृषिक घोषित किया जाता है । तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो । आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबंधक करछना को भेजी जाय । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित की जाय ।

27/01/2011

दिनांक: 27.01.2011

(पुष्कर श्रीवास्तव)
उप जिलाधिकारी
करछना, इलाहाबाद ।

No 111